

न्यायालय: सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थित: अनिल कुमार-X(उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०.....543/2024

कंप्यूटर रजि०नं० 1357/2024

सरकार बनाम मनीष आदि

अंतर्गत धारा-147,364A,302/149,201,120B भा०द०सं०

थाना-नन्दग्राम गाजियाबाद।

मु० अ० सं०-409/2024

### मैमोरेण्डम

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण मनीष, रोहित, ईश्वरपाल, अमन तथा विकास जिला कारागार से मय अधिवक्ता उपस्थित आए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्क आरोप सृजित किये जाने के बिंदु पर सुने गये एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा-147,364A,302/149,201,120B भा०द०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप सृजित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 18-10-2024 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण तलब हों।

दिनांक:04-10-2024

(अनिल कुमार-X)

सत्र न्यायाधीश,

गाजियाबाद